रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-128 REGISTERED NO. D. (D.N.)-128

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 28, 1987/अग्रहायण 7, 1909
No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 28, 1987/AGRAHAYANA 7, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम, जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules including Orders, Bye-laws etc. of a general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

योजना आयोग

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर 1987

सा०का०नि० 871.— राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए योजना आयोग (कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के अधिकल्पित सेवा प्रभाग में वरिष्ठ परिकर और कनिष्ठ परिकर) भर्ती नियम, 1979 का उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, योजना आयोग के कम्प्यूटर सेवा प्रभाग में ज्येष्ठ परिकर और कनिष्ठ परिकर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम योजना आयोग कम्प्यूटर सेवा प्रभाग (ज्येष्ठ परिकर और कनिष्ठ परिकर) भर्ती नियम 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान --उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इससे इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि —उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता --वह व्यक्ति --

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या

87 1602 GI—1

9	10	11	12	13	14
				1. Deputy Director (Administration), Directorate of Advertising and Visual Publicity --Chairman 2. Section Officer (Establishment) —Member 3. A Group 'B' Gazetted Officer from any Media Unit of the Ministry of Information and Broadcasting. —Member	

[F. No. A 12013/3/85-Est.]

H.S. SHARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1987

सा.का.नि. 895:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, फिल्म प्रभाग (समूह "ग" प्रशासनिक पद) भर्ती नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम फिल्म प्रभाग (समूह "ग" प्रशासनिक पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. फिल्म प्रभाग (समूह "ग" प्रशासनिक पद) भर्ती नियम 1987 की अनुसूची में, उच्च श्रेणी लिपिक के पद से संबंधित क्रम सं० 7 के सामने,—

(1) स्तंभ 12 के नीचे, अन्त में निम्नलिखित अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :

"जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा"।

(2) स्तंभ 13 के नीचे, निम्नलिखित प्रविष्टि अंत में अंतः स्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

"(3) स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :

केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी जो सदृश पद धारण करते हैं या जिन्होंने निम्न श्रेणी लिपिक के रूप में 5 वर्ष नियमित सेवा की है।";

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (i) में अधिसूचना सा.का.नि. सं. 423 तारीख 30-5-87 द्वारा प्रकाशित किये गये थे।

[सं०ए-12018/1/84-एफ(ए)]

एस.एल.एस. हिमांशु, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 6th November, 1987

G.S.R. 895.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Films Division's (Group 'C' Administrative posts) Recruitment Rules, 1987, namely :—

1. (1) These rules may be called the Films Division (Group 'C' Administrative posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Films Division (Group 'C' Administrative Posts) Recruitment Rules, 1987, against serial No. 7 relating to the post of Upper Division Clerk,—

(i) under column 12, the following shall be inserted in the end, namely :

"failing which by transfer/transfer on deputation" ;

(ii) under column 13, the following entry shall be inserted in the end, namely : —

(iii) Transfer/Transfer on deputation :

Officers under the Central Government holding analogous posts or with 5 years' regular service as Lower Division Clerk."

Foot Note : The principal rules were published vide notification G.S.R. No 23. dated 30th May, 1987 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i).

[No. A. 12018/1/84 F(A)]

S. L. S. HIMANSHU, Desk Officer.

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1987

सा.का.नि. 896:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1964 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती तीसरा संशोधन नियम, 1987 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1964 की अनुसूची में, सांख्यिकी कम्प्यूटर के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 68 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1. सांख्यिकी कम्प्यूटर	31* (1987) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	1200-30-1560-द.रो.-40-2040 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत अंतिम होगी।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय के अधिमानतः/गणित/सांख्यिकी/अर्थशास्त्र में डिग्री या समतुल्य। वांछनीय : किसी सरकारी या मान्यताप्राप्त संस्थान/संगठन में क्षेत्र अनुसंधान या सांख्यिकीय आंच या कम्प्यूटर पर कार्य का एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण : 1. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है / हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	2 वर्ष।

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।
11	12
100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होगा

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) 1. आकाशवाणी महानिदेशालय/दूरदर्शन महानिदेशालय में पदों के लिए 1. निदेशक, श्रोता अनुसंधान, आकाशवाणी महानिदेशालय दूरदर्शन महानिदेशालय -------अध्यक्ष 2. उप निदेशक, श्रोता अनुसंधान, आकाशवाणी महानिदेशालय- -सदस्य 3. उप निदेशक प्रशासन (मुख्यालय) आकाशवाणी महानिदेशालय/दूरदर्शन महानिदेशालय ------सदस्य 2. आकाशवाणी केन्द्रों दूरदर्शन केन्द्रों में पदों के लिए 1. कार्यालय प्रधान------अध्यक्ष 2. श्रोता अनुसंधान अधिकारी------सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी------सदस्य	लागू नहीं होता

[सं. 7/13/86 - ए. आर./बी. (ए)]

कश्मीरी लाल, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, जिन्हें आकाशवाणी (समूह "ग") भर्ती नियम, 1964 कहा गया है, सा. का. नि. 1776 तारीख 30-11-64 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और, तत्पश्चात् वह निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किए गए हैं :--

1. अधिसूचना संख्या 11/5/64-बी(ए) तारीख 9-8-1965
2. " संख्या 5/2/67-बी(ए), तारीख 20-3-1967
3. " संख्या 7/2/68-बी(ए), तारीख 14-6-1968
4. " संख्या 7/8/66-बी(ए), तारीख 31-1-1970
5. " संख्या 20/8/67-बी(ए), तारीख 24-2-1970
6. " संख्या 16/20/69-बी(ए), तारीख 30-3-1970
7. " संख्या 1/7/70-बी(ए), तारीख 18-3-1971
8. " संख्या 1/8/71-बी(ए), तारीख 29-1-1972
9. " संख्या 1/8/71-बी(ए), तारीख 22-2-1972
10. " संख्या 1/11/71-बी(ए), तारीख 5-5-1972
11. " संख्या 1/4/72-बी(ए), तारीख 16-6-1972
12. " संख्या 1/7/71-बी(ए), तारीख 14-11-1972
13. " संख्या 1/6/73-बी(ए), तारीख 23-5-1973
14. " संख्या 1/11/73-बी(ए), तारीख 29-6-1973
15. " संख्या 1/5/73-बी(ए), तारीख 28-5-1973

16. अधिसूचना संख्या 1/7/70-बी(ए), तारीख 15-5-1974
17. " संख्या 1/7/70-बी(ए), तारीख 8-8-1974
18. " संख्या 1/3/74-बी(ए), तारीख 21-5-1976
19. " संख्या 12019/10/79-बी(ए), तारीख 26-12-1978
20. " संख्या 12019/1/78-बी(ए), तारीख 17-12-1980
21. " संख्या 12019/8/80-बी(ए), तारीख 27-4-1981
22. " संख्या 12019/8/81-बी(ए), तारीख 17-5-1982
23. " संख्या 12019/4/81-बी(ए), तारीख 11-4-1983
24. " संख्या 45011/83/82-बी(ए), तारीख 19-9-1983
25. " संख्या 7/19/83- एआर/बी (ए), तारीख 3-1-1984
26. " संख्या 3/25/83 सी आर सी आर/एस. 2/ए आई आर/बी(ए), तारीख 2-6-1987
27. " संख्या 7/5/86-ए. आर. /ए. आई./आर.बी(ए), तारीख 10-9-1987

New Delhi, the 10th November, 1987

G.S.R. 896.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1964, namely:—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Group 'C' posts) Recruitment (Third Amendment) Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1964, for serial No. 68, relating to the post of Statistical Computer, and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
68. Statistical	31*(1987) *Subject to variation dependant on work load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040	Not applicable	Not applicable	25 years (Relaxable for Government servants in accordance with the orders or instructions issued by Central Government). Note : (The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

(8)	(9)	(10)	(11)
Essential : Degree of recognised University or equivalent, preferably in Mathematics/Statistics/Economics. Desirable : One year's experience in field research of Statistical enquiries or work on Computer in Government or recognised Institute/Organisation. Note 1. : *Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified.*	Not applicable	Two years	100 per cent by direct Recruitment.

8	9	10	11
Note 2. The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any state of selection the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up posts reserved for them.			

(12)	(13)	(14)
Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation I. For posts in Directorate General : All India Radio/ Directorate General : Doordarshan. 1. Director, Audience Research, Directorate General : All India Radio/Directorate General Doordarshan — Chairman 2. Deputy Director Audience Research, Directorate General All India Radio —Member 3. Deputy Director of Administration (Headquarter), Directorate General, All India Radio/Directorate General Doordarshan. —Member II. For posts in All India Radio Stations/ Doordarshan Kendras 1. Head of the office—Chairman 2. Audience Research Officer—Member 3. Administrative Officer—Member	Not applicable

[No. 7/13/86—A.R./B (A)]

KASHMIRI LAL, Under Secy.

Note : Principal Rules called All India Radio (Group 'C') Recruitment Rules, 1964, were notified vide G.S.R. No. 1176 dated 30-11-1964 and subsequently the following amendments have been notified :

1. Notification No. 11/5/64-B(A), dated 9-8-1965
2. „ No. 5/2/67-B(A), dated 20-3-1967
3. „ No. 7/2/68-B(A), dated 14-6-1968.
4. „ No. 7/8/66-B(A), dated 31-1-1970
5. „ No. 20/8/67-B(A), dated 24-2-1970
6. „ No. 16/20/69-B(A), dated 30-3-1970
7. „ No. 1/7/70-B(A), dated 18-3-1971
8. „ No. 1/8/71-B(A), dated 29-1-1972
9. „ No. 1/8/71-B(A), dated 22-2-1972
10. „ No. 1/11/71-B(A), dated 5-5-1972
11. „ No. 1/4/72-B(A), dated 16-6-1972
12. „ No. 1/7/71-B(A), dated 14-11-1972
13. „ No. 1/6/73-B(A), dated 23-5-1973
14. „ No. 1/11/73-B(A), dated 29-6-1973
15. „ No. 1/5/73-B(A), dated 20-8-1973
16. „ No. 1/7/70-B(A), dated 15-5-1974
17. „ No. 1/7/70-B(A), dated 8-8-1974
18. „ No. 1/3/74-B(A), dated 21-5-1976
19. „ No. 12019/10/79-B(A), dated 26-12-1978
20. „ No. 12019/1/78-B(A), dated 17-12-1980
21. „ No. 12019/8/80-B(A), dated 27-4-1981
22. „ No. 12019/8/81-B(A), dated 17-5-1982
23. „ No. 12019/4/81-B(A), dated 11-4-1983
24. „ No. 45011/83-/82-B(A), dated 19-9-1983
25. „ No. 7/19/83-AR/B(A), dated 3-7-1984
26. „ No. 3/25/83-CRCR/S. II/AIR/B(A), dated 2-6-1987
27. „ No. 7/5/87-AR/AIR/B(A), dated 10-9-1987